

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

IS 15700:2018



(भूमि अर्जन अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं०- 1705/एल०ए०सी०/ एच०व्यू०/1

दिनांक : 07-02-2025

नोटिस

(उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अधीन नोटिस)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अधीन नोटिस के माध्यम से मऊ नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु "गोरखपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मऊ" अधिसूचित की गयी है। योजना में समाविष्ट ग्रामों के क्षेत्र की सीमाएँ निम्न प्रकार हैं :-

उत्तर : खसरा संख्या-437, 272 ग्राम-शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-37, 150 भाग, 148, 147, 202, 201, 200, 198, 195, 194, 188, 187, 278, 287, 289, 291, 282, 303 भाग, 300, 301 ग्राम-रेवरीडीह, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-379, 380, 384 ग्राम-डाडीखास, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ

पूरब : खसरा संख्या-352, 432 ग्राम-डाडीखास, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

दक्षिण : खसरा संख्या-4, 3, 1 ग्राम-डोडापुर, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ। खसरा संख्या-240 भाग, 214, 203 भाग, 202 भाग, 174, 177, 89 भाग, 88 भाग, 63, 62, 54, 53, 51 भाग, 52, 40, 41, 47, 42/241, 42, 43, 56 ग्राम-मेघई मु० शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-274, 272, 271, 270, 268, 267, 255, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 226, 196, 195 भाग ग्राम-मुहम्मदपुर मु० शहरोज, परगना-घोसी, तहसील मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ। खसरा सं०-1139 भाग, 1122, 1123, 1124 भाग, 1125 भाग, 1127, 1134, 1135, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1060, 1061, 594, 593, 592, 590, 588, 587, 575 ग्राम- शहरोज, परगना- घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद- मऊ।

पश्चिम : खसरा सं०-561 भाग, 411, 409, 405, 404, 398 भाग, 394, 392, 391, 390 भाग, 384, 380, 379, 373 ग्राम-शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-03, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, भवन सं०-85, प्रथम तल, ब्रह्मस्थान, आजमगढ़ में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट शुल्क/ विकास शुल्क भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को, इस नोटिस के प्रथम बार उ०प्र० गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, वाराणसी-03, उ०प्र० आवास विकास परिषद, भवन सं०-85, प्रथम तल, ब्रह्मस्थान, आजमगढ़ में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/ भवन/ग्राम का नाम/ खसरा नम्बर/ भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

(डा० बलकार सिंह)
आवास आयुक्त

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें ☎ 1800-180-5333 (टोल फ्री नंबर), 0522-2236803

📱 🌐 📧 UPHousingBoard 🌐 www.upavp.in 📧 info@upavp.com